

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/200815/LCK/LUCKNOW/9367/CFO

दिनांक: 27-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **DPS SECTOR-6,SITAPUR ROAD JANKIPURAM,LUCKNOW** तहसील - **BAKSHI KA TALAB** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	4	0	14.5 mt.

तथा प्लॉट एरिया **18668.19 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-05-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SOM DWIVEDI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-05-2026** से **30-05-2031** तक **5 वर्षों** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या एवं पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र के क्रम में नवीनीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है-

1-उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमा0-2024 के नियम-55(अनुसूची-7) के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा अधिकारी मय प्रशिक्षित स्टाफ को नियुक्त रखा जाय।

2-उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधि0-2022 के प्रस्तर-26/नियमा0-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने व उसके रखरखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्निशमन उपकरणों का क्रियाशीलता घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन का इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANKUSH MITTAL)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-05-2026

स्थान : LUCKNOW

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

31-05-2026